न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या – 42/2024

अनवान : –

1. हनुमान पुत्र अर्जुन सिंह जाति राजपुत निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **प्रार्थी**
राजपेरोकार

निर्णय दिनांक: 19/02/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के खाता स0 11/7 की कुल 3.2257 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी हनुमानसिंह पुत्र अर्जनसिंह दर्ज है जबकि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम हनुमान पुत्र अर्जुन सिंह है जो की प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों में दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम हनुमानसिंह पुत्र अर्जनसिंह के स्थान पर हनुमान पुत्र अर्जुन सिंह दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को काफी मर्तबा कहा कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर देवे जिससे प्रार्थी का कोई हिस्सा कम अथवा ज्यादा नही होना केवल नाम ही सशोधित होना है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:49:45 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया उक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी हनुमानसिंह पुत्र अर्जनसिंह दर्ज है जबकि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम हनुमान पुत्र अर्जुन सिंह है जो की प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों में दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम

Rahul.

हनुमानसिंह पुत्र अर्जनसिंह के स्थान पर हनुमान पुत्र अर्जुन सिंह दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार कि रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के खाता स0 11/7 की कुल 3.2257 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रार्थी अपना हनुमानसिंह पुत्र अर्जनसिंह के स्थान पर हनुमान पुत्र अर्जुन सिंह दर्ज करवाना चाहता है प्रार्थी के दस्तावेजों यथा आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम हनुमान पुत्र अर्जुन सिहह है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के खाता स0 11/7 की कुल 3.2257 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, **में प्रार्थी का नाम हनुमान सिंह पुत्र अर्जनसिंह जाति राजपुत निवासी देह खातेदार के स्थान पर हनुमान पुत्र अर्जुन सिंह जाति राजपुत निवासी भावलदेसरका संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 19/02/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:49:45 IST
Reason: SelfAttested